

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

फोन नं०-0135-2608107, फैक्स नं०-0135-2608108

पत्रांक /अधिष्ठान/दो-21(3)/2013

दिनांक 12 अक्टूबर, 2013


-कार्यालय आदेश-

मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-38 ऑफ 2013 (एस/एस) श्री पी०सी० पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26-06-2013 के अनुपालन में कार्यालयादेश संख्या-555/अधिष्ठान/दो-21(3)/2013 दिनांक 03-05-2013 द्वारा निर्गत परिवहन कर अधिकारी-2 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 25 में उल्लिखित श्री पी०सी० पाण्डे, परिवहन कर अधिकारी-2 का नाम उक्त सूची के क्रमांक 25 से हटाकर क्रमांक 09 के पश्चात् एवं क्रमांक 10 से पूर्व अर्थात् क्रमांक 9(ए) पर एवं श्री बृजलाल कन्नौजिया का नाम क्रमांक 28 से हटाकर क्रमांक 25 पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

(डॉ० उमाकान्त पंवार)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 642 (1)/अधिष्ठान/दो-21(3)/2013 समदिनांकित।

- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
 - 2- समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
 - 3- सम्बन्धित परिवहन कर अधिकारी-2 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
 - 4- अधिष्ठान पत्रावली।
 - 5- ज्येष्ठता पत्रावली।


(चन्द्रशेखर भट्ट)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।